

**यूको बैंक**

(भारत सरकार का उपकरण)

**UCO BANK**

(A Govt. of India Undertaking)

Zonal OFFICE: NCR Plaza, New Cantt. Road, Dehradun

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

**संपत्ति बिक्री की ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना****वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अन्तर्गत बैंक को प्रगारित अचल व चल सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री।**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन बैंक को बंधक रखी संपत्तियों की नीलामी यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकृत प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) मांग सूचना एवं सूचना में दर्शाई राशि ब्याज एवं खर्च भुगतान करने हेतु जारी की गई थी ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं एवं इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित खातों के समक्ष दर्शायी तिथि को बंधक रखी संपत्तियों का कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं उक्त अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन जो है जैसा है "जैसे है जहां है एवं जो कुछ भी है के आधार पर" निम्न वर्णित संपत्तियों की बिक्री करने का फैसला किया है। बिक्री अधोहरताक्षरित द्वारा वेबसाइट पर ई-आहरण प्लेटफार्म पर की जायेगी।

शाखा का नाम	मूल ऋणी का नाम	गारन्टर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि मांग नोटिस की तिथि	आरक्षित मूल्य	आरक्षित मूल्य का बयाना 10%	ई-नीलामी की तिथि व समय
शाखा काशीपुर इन्डस्ट्रीयल इस्टेट	श्रीमति सुनीता रानी शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा धीमरखेड़ा, काशीपुर	अशोक कुमार नाथ पुत्र श्री लेखराज 198 फसियापुरा टैंक के सामने दड़ियाल रोड, काशीपुर।	समस्त सम्पत्ति जो टाईटल डीड दिनांक 20.01.2011 बहि नं. 1, जिल्द नं 2387, क्रमांक 762 पेज नं 97 से 108 तक कुल क्षेत्र 820 वर्ग फिट या 76.21 वर्ग मी. श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा धीमरखेड़ा उधमसिंह नगर	रु. 8,93,108.00 + ब्याज + अन्य खर्च	रु. 5,50,000/-	रु. 55,000/-	दिनांक 03.12.2018 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

**ऑनलाइन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें** (1). नीलामी वेबसाइट : <https://ucobank.auctiontiger.net> के द्वारा ऑनलाइन नीलामी/बिडिंग के माध्यम से दिनांक 03.12.2018 को दोपहर 11.00 बजे से 1:00 बजे तक (आईएसटी) 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ होगा। (2). इच्छुक निविदाकर्ता की ईमेल आइडी होनी आवश्यक है। (3). इच्छुक निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अपनी बिड जमा करने एवं ई-नीलामी में भाग लेने से पहले, विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> से प्राप्त करें। (4). इच्छुक निविदाकर्ता को ई-नीलामी की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मै 0 ई0 प्रक्युरमेंट टेक्नोलॉजी लि0 (आवशन टाइगर) अहमदाबाद मै0 मर्सी सागर, श्री रिकिन, श्री विशाल एवं कुशल से इन नम्बर एवं मेल आइडी पर सम्पर्क करें। लैंड लाइन नं. 079-41072410 / 41072411, मोबाइल नं. 09978591888, 794005416, ईमेल आइडी : [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net), [kushal@auctiontiger.net](mailto:kushal@auctiontiger.net). (5). बिड केवल निर्धारित प्रारूप में उचित जानकारी के साथ ऑनलाइन जमा होगी। (6). ऑनलाइन बिड जमा करने की अन्तिम तिथि 30.11.2018 है। (7) माध्यम से यूको बैंक, शाखा काशीपुर, IFSC कोड UCBA 0002262 खाते का नाम एनडिएफटी/आरटीजीएस खाता, खाता सं. 22621030100001 में जमा होगी। (8). सम्पत्ति का निरीक्षण ई-नीलामी बिक्री के पांच दिन पहले सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक शाखा अधिकारी से पहले समय लेकर कर सकते हैं। (9). बोली फार्म की एक प्रति ऑनलाइन संलग्नक के साथ (जिसमें यूटीआर नं. का उल्लेख हो) प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, अचल कार्यालय एनसीआर प्लाजा, देहरादून-248001 के पास जमा करना होगा या इनकी सॉफ्ट कॉपी मेल आइडी [kaship@ucobank.co.in](mailto:kaship@ucobank.co.in) पर नैल करनी होगी। (10). बिड मूल्य जो जमा करना है वह आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिये एवं बिडर्स बोली बुद्धि मूल्य रु0 10000/- के गुणांक में बढ़ायेंगे। (11). सफल बिडर्स को बिड मूल्य का 25 प्रतिशत (जमा की गयी अग्रिम जमा धनराशि (ईएमडी) को मिलाकर) ई-नीलामी बिक्री समाप्त होने के पश्चात उसी दिन तत्काल नियम सं. 7 में दिये गये माध्यम से जमा करना होगा। शेष देय 75 प्रतिशत धनराशि ई-नीलामी बिक्री के 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होगी। (12). यदि राकल बोलीकर्ता ऊपर दिये गये नोटिस के अनुसार खरीद मूल्य जमा करने में अस्फल होता है तो बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि जब्त हो जायेगी। (13). अस्फल बोलीकर्ता की अग्रिम जमा धनराशि (ईएमडी) ई-नीलामी बिक्री समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी। (14). बिक्री बैंक की गृष्टि के अधीन है। यदि ऋणी/जमानतदार बलाया राशी नीलामी से पूर्व जमा कर देते हैं तो बिक्री निरस्त हो जायेगी। (15). ई-नीलामी जहां है जैसा तथा जहां है जो भी है के आधार पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी तथा सूचना के अनुसार किसी भी सम्पत्ति का कोई ऋण भार नहीं है। यद्यपि इच्छुक बिडर्स को अपनी बिड प्रस्तुति से पहले सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले ऋण भार, नीलाम की जाने वाली सम्पत्तियों/के टाईटल तथा दावे/अधिकार/बकाया के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र जांच करवानी चाहिये। सम्पत्ति बैंक के वर्तमान तथा भविष्य के जाने-अनजाने ऋण भार सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सिक्वर्ड क्रेडिटर तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/बकायों करके लिये किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (16). अधोहरताक्षरी को पूर्ण अधिकार एवं विवेक है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के बिड को रवीकार/अस्वीकार कर सकता है बिक्री को स्थगित/टाल/रद्द कर सकता है एवं नियम व शर्तें बदल सकता है। (17). क्रेता को स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र पंजीकरण शुल्क एवं सम्पत्ति से संबंधित वर्तमान एवं भविष्य के सभी सरकारी कर एवं दर बहन करना होगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीकर्ता के नाम पर जारी होगा। (18). बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में उल्लिखित शर्तों एवं ऊपर अंकित शर्तों के अधीन है। (19). अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी, श्री नीरज कुमार सिंघल, यूको बैंक, अचल कार्यालय, एनसीआर प्लाजा, देहरादून, मो. 9459983645, 8219785886 फोन नं. 0135-2742812 पर सम्पर्क कर सकते हैं। (20). नोटिस विशेष रूप से ऋणी/चौ, जमानतदार/रों एवं सामान्य रूप से आम जनता के लिए भी है।

स्थान : काशीपुर

दिनांक : 31.10.2018

प्राधिकृत अधिकारी

Size 16x16 dtd 29-10-2018